

राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर

क्रमांक:- मुसप्र/2016/201

दिनांक:-

5-5-2016

~~8-5-16~~

आदेश

मण्डल की बोर्ड बैठक 229 दिनांक 27.01.2016 के निर्णय बिन्दु संख्या 229.21 की पालना में विवेक विहार योजना, कुडी भगतासनी योजना, जोधपुर में अवशिष्ट फ्लेटों का नियमानुसार निस्तारण उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम-जोधपुर अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय जोधपुर के माध्यम से प्राप्त प्रस्तावानुसार खुली ब्रिकी योजना में नगद भुगतान पद्धति से निस्तारण किये जाने किये जाने की स्वीकृति एतद्व द्वारा निर्देशानुसार प्रदान की जाती है, निस्तारण किये जाने वाले फ्लेटों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.स.	आय वर्ग	आवंटन निरस्त उपरान्त सरप्लस फ्लेट नं.	कुल फ्लेट संख्या
1	EWS (G+3)	11-A-72, 11-A-107, 11-A-109, 11-B-70, 11-B-83, 11-B-102, 11-C-19, 11-C-22, 11-C-62, 11-D-6, 11-D-45, 11-D-67, 11-E-16, 11-E-75, 11-E-79, 11-E-82, 11-F-23, 11-F-49, 11-F-52, 11-F-60, 11-F-77, 11-F-89, 11-G-12, 11-G-13, 11-G-29, 11-G-31, 11-G-41, 11-J-10, 11-J-24,	29
2	LIG (G+3)	10-M-9, 10-M-13, 10-M-15, 10-M-38, 10-M-50, 10-M-70, 10-M-73, 10-M-76, 10-M-94, 10-N-95, 10-O-3, 10-O-8, 10-O-24, 10-O-41, 10-O-45, 10-O-54, 10-O-59, 10-P-7, 10-P-24, 10-P-27, 10-P-43, 10-P-59, 10-P-76, 10-P-77, 10-P-78, 10-P-80, 10-P-82, 10-P-83, 10-P-87, 10-R-6, 10-R28, 10-R-32, 10-R-39, 10-S-1, 10-S-26, 10-S-39, 10-S-43, 10-S-47, 10-S-58, 10-S-75, 10-S-79, 10-S-83, 10-S-86, 10-S-89, 10-S-90, 10-S-94, 10-S-95, 10-S-96, 10-T-11, 10-T-15, 10-T-25, 10-T-29, 10-T-37, 10-T-43, 10-U-16, 10-U-28, 10-U-50, 10-U-54, 10-U-56, 10-U-60, 10-U-63, 10-U-74, 10-U-75, 10-U-83, 10-U-85, 10-U-89, 10-U-95	67
3	MIG-A (G+3)	10-H-3, 10-H-4, 10-H-7, 10-H-8, 10-H-9, 10-H-12, 10-H-13, 10-H-17, 10-H-18, 10-H-28, 10-H-29, 10-H-33, 10-H-34, 10-H-36, 10-H-37, 10-H-38, 10-H-39, 10-H-40, 10-H-41, 10-H-43, 10-H-45, 10-H-47, 10-H-50, 10-H-56, 10-H-58, 10-H-59, 10-H-61, 10-H-66, 10-H-68, 10-H-73, 10-H-76, 10-H-77, 10-H-79, 10-H-80, 10-J-1, 10-J-8, 10-J-13, 10-J-14, 10-J-16, 10-J-21, 10-J-28, 10-J-29, 10-J-34, 10-J-37, 10-J-41, 10-J-46, 10-J-47, 10-J-52, 10-J-55, 10-J-61, 10-J-63, 10-J-64, 10-J-69, 10-J-71, 10-J-73, 10-J-74, 10-J-84, 10-J-85, 10-J-86, 10-J-87, 10-J-91, 10-J-92, 10-J-93, 10-J-94, 10-J-95, 10-L-6, 10-L-7, 10-L-8, 10-L-14, 10-L-15, 10-L-16, 10-L-21, 10-L-25, 10-L-27, 10-L-32, 10-L-42, 10-L-43, 10-L-45, 10-L-60, 10-L-62, 10-L-63, 10-L-64, 10-L-66, 10-L-70, 10-L-74, 10-L-77, 10-L-78, 10-L-85, 10-L-91	89
कुल			185

अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय-जोधपुर/उप आवासन आयुक्त, वृत्त प्रथम, जोधपुर निम्न शर्तों के आधार पर खुली ब्रिकी योजना के अन्तर्गत नगद भुगतान पद्धति में आवासों/फ्लेटों का निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

1. उक्त आवासों के अलावा संबंधित स्कीम में कोई अन्य आवास खुली ब्रिकी हेतु रिक्त नहीं है।
2. आवासों का निस्तारण उचित प्रचार-प्रसार के माध्यम से नियमानुसार किया जावे।
3. आवास आवंटन हेतु कोई भी पंजीकृत आवेदक लम्बित नहीं है तथा पूर्व में आवास हेतु प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त नहीं की गई है।
4. किसी भी अन्य प्रकार से निस्तारण करने पर अधिक आय प्राप्त नहीं हो सकती यह सुनिश्चित कर ही निस्तारण करें।
5. उक्त प्रस्तावित आवासों में किसी भी प्रकार का विवाद/न्याय विवाद लम्बित नहीं है तथा नियमानुसार निरस्त किये गये हैं।
6. मण्डल द्वारा खुली ब्रिकी योजना के संबंध में जारी सभी आदेश/परिपत्रों की पालना सुनिश्चित की जावे।

उक्त आदेश को पत्रावली के पैरा 27/एन पर आवासन आयुक्त एवं अध्यक्ष महोदय का अनुमोदन प्राप्त है।

मुख्य सम्पदा प्रबन्धक

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ -

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
2. मुख्य अभियन्ता (मु0), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. मुख्य अभियन्ता-प्रथम/द्वितीय/सचिव/वितीय सलाहकार/निदेशक विधि, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
4. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता-द्वितीय रा0आ0म0, जोधपुर
4. अति0 निजी सचिव-मुख्य सम्पदा प्रबन्धक, रा0आ0म0 जयपुर।
6. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-प्रथम, रा0आ0म0 जोधपुर।
7. आवासीय अभियन्ता खण्ड-द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ, रा0आ0म0 जोधपुर।
- ✓ 8. संयुक्त एनालिस्ट (निदेशक), राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि आदेश की प्रति मण्डल की वेबसाईट पर अपलोड व सभी को मेल करें।
9. सहायक निदेशक, जनसम्पर्क अधिकारी, राज0 आ0 मण्डल, जयपुर।
10. प्रभारी नागरिक सेवा केन्द्र, (मु0), रा0आ0म0, जयपुर
11. रक्षित पत्रावली।



सम्पदा प्रबन्धक (मु0)